न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-4, उन्नाव।

उपस्थित–रत्नेश दीप कमल आनन्द, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा J-O-Code UP1787)

सरकार बनाम आनन्द कुमार द्विवेदी।

मु०अ०सं०-2552/2002
मु०नं०-3004855/2019
धारा-3/25 आर्म्स एक्ट
थाना-कोतवाली, जनपद-उन्नाव।

दिनांक-18.10.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। प्रार्थी/अभियुक्त **आनन्द कुमार द्विवेदी** ने जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.10.2024 बाबत जुर्म इकबाल प्रस्तुत कर कथन किया है कि, उपरोक्त वाद का काफी प्राचीन होने के बावजूद आज तक कोई भी साक्ष्य नहीं हुआ है जबकि प्रार्थी 82 साल का वृद्ध व्यक्ति है और अब न्यायालय आकर मुकदमा लड़ पाने में असमर्थ है। इस कारण से प्रार्थी के मुकदमें का निस्तारण जुर्म इकबाल के आधार पर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमें का निस्तारण करने की याचना की गयी है।

अभियुक्त की ओर से स्वेच्छा से अपराध की संस्वीकृति का कथन किया गया है, अभियुक्त के अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **आनन्द कुमार द्विवेदी** को **मु०अ०सं०-2552/2002**, अन्तर्गत **धारा-3/25 आर्म्स एक्ट** में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को 500/-रू० के अर्थदण्ड व पूर्व में बिताई गयी कारागार की अवधि से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में अभियुक्त सात दिन का साधारण कारावास तथा न्यायालय उठने तक की सजा व्यतीत करेगा। अभियुक्त के प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

दिनांक–18.10.2024

(रत्नेश दीप कमल आनन्द)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-4, उन्नाव।
जे०ओ०कोड-यूपी 1787

Digitally signed by RATNESH DEEP KAMAL ANAND
Date: 2024.10.18 10:46:58 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court